CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Ground Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi – 110001
Tel: 23353503/Fax : 23752957

F.No. 2/6(5)/2016/Estt/CERC Dated 7th July 2017

Sub: Notice Inviting Tender for engaging Service Providers for deployment of manpower on outsourcing basis.

Central Electricity Regulatory Commission engages manpower at various levels. through service providers. Sealed tenders are hereby invited in the form of techno commercial bids from such agencies who fulfill the eligibility conditions contained in the detailed terms & conditions as per **Annexure II**for providing appropriately skilled manpower.

2. **Scope of work:** An illustrative list of manpower proposed to be engaged through the service providers is indicated in **Annexure – I.** The list is illustrative and not exhaustive. The number of persons may vary depending on actual requirement.

3. **Manner of Submission of tender:** The tender must be submitted in the prescribed pro-forma provided in **Annexure- III** and **Annexure- IV.** Tenders not in the prescribed pro-forma shall be rejected.

3.1 **Technical Bid:** The Technical bid, in the pro-forma prescribed at **Annexure-III** along with the under-mentioned documents is to be placed in a sealed cover and superscribed as **"Technical Bids":-**

(i) Self-attested photocopies of (a) PAN No., (b) TAN No. (c) Service Tax Registration No/GST Registration No. and (d) Registration Certificate of the firm

(ii) Self-attested photocopies of documents in support of possession of requisite relevant experience by the firm

(iii) Earnest Money Deposit and

(iv) Other documents as required in**Annexure II.**

3.2 **Financial Bid:** The Financial bid is to be furnished in the prescribed. Proforma given in **Annexure –IV** and placed in a sealed cover **superscribed as "Financial Bid".**

3.3 **Earnest Money Deposit (EMD)**

3.4 Two separate sealed covers containing the Technical Bid and the Financial Bid and a third envelope containing EMD/Exemption Certificate from EMD should beplaced in another sealed cover and addressed to the Assistant Chief (Admin), CERC. The cover should be **superscribed as "Tender for Engaging Service Providers for deployment of manpower on Outsourcing Basis".**

4. **Last date of receipt of tender:** The tender, complete in all respects, should reach the Assistant Chief (Admin), CERC, Ground Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001 by 12.00 noon on Monday, the 31^{st} July 2017.

5. The Tender shall be opened at 2.30 PM on the same date in the presence of the participating bidders who may like to be present.

Sd/-
(Kamal Kishor)
Assistant Chief (Admin)

ANNEXURE – I

Illustrative List of Manpower to be engaged through Service Provider

Non-Technical Posts:

Category	Approx. No.
Administrative Officer	01
Executive Secretary	01
Hindi Officer	01
Sr. Executive (to be deployed in different Divisions of CERC	06
Executive Steno	14
Jr. Executive (Data Entry)	02
Jr. Executives (to be deployed in different in Divisions	21

Technical posts:

Category	Approx. No.
Sr. Associate (Technical)	02
Sr. Associate (Engg)	05
Associate	02
Associate (Systems/Networking)	01
Associate (Software)	01
Gym Trainer	01

Note 1. Actual remuneration/ emoluments, which shall not be less than applicable minimum wage, would be decided by CERC and intimated after award of work

Note: 2 CERC's liability will be limited to employers' contribution as per extant rules towards ESI, EPF and any other statutory contributions, if any, once these have been paid by the Agency on due date. No penal charges shall be payable by CERC.

Note 3 The above list is illustrative not exhaustive.

Note 4 the no. of personnel may vary depending on prevailing requirements.

Note 5 The selection of manpower and remuneration/emoluments payable to them shall be decided by CERC as per functional requirements.

2.0 Qualification of Bidders:

(i) The agency desirous of participating in this tender should be registered with the appropriate registration authority and should have its registered office in Delhi/NCR.

(ii) The firm must have a valid (a) PAN No., (b) TAN No. (c) Service Tax Registration No/GST Registration No.and (d) Registration Certificate of the firm.

(iii) The Firm should have been registered with ESI and EPF Authorities for depositing ESI and EPF contributions.

(iv) The Firm must have at least five years' experience of providing manpower to Central Government/ State Govt. / PSUs / Private Organizations of repute in the field of manpower shown in **Annexure-I.**

(v) The Firm shall have a minimum turnover of Rs 50.00 lakhs during financial year 2016-17. The Firm shall abide by all statutory obligations relating to deployment of manpower including deposit of subscription of ESI and EPF and Minimum Wages Act., Labour laws etc.

(vi) The firm shall submit a copy of

(a) Income Tax Returns for at least last three years;
(b) Service Tax Returns for at least last one year
(c) Proof of depositing EPF contributions with the concerned agency at least for last one year.
(d) Proof of depositing ESI contributions with the concerned agency at least one year.
e) Proof of depositing Service Tax contributions with the concerned agency at least one year;
(f) The Firm should be agreeable to abide by all the terms and conditions of CERC contained in the instant NIT as indicated in **Annexure III** and
(g) Last three years audited statement (at least Turnover and profit/loss for the years) from Chartered Accountant and Solvency Certificate from the Banker.

(vii) The firm/Agency should not have been blacklisted/debarred by any Government organization.

2. (i) Technical Bid evaluation: After bid opening, Technical bids submitted by those Bidders who have furnished the EMD/are registered with NSIC shall be evaluated by a committee constituted by CERC. Technical evaluation will be done by a Committee on the basis of the following criteria:-

- Experience in the relevant field (40 points)
- No. of Government clients to whom the bidder is providing manpower as shown in Annexure I (other than housekeeping/pantry/security staff/MTS/erstwhile Group D staff) (15 points)
- No. of PSU clients to whom the bidder is providing manpower as shown in Annexure I (other than housekeeping/pantry/security staff/MTS/erstwhile Group D staff) (15 points)
- Total No. of candidates deployed in the last five years, year wise, Category-wise as per Annexure I in different organizations, duly supported by documentary proof. (15 Nos.)
- Financial status (Profit or loss of the firm during the previous three financial years) (5 marks for each year if there was profit as per the audited accounts,(15 points)
- Any other parameter deemed fit to be considered by the Evaluation Committee.

Those bidders who score minimum of 60% in technical evaluation would be considered technically qualified/responsive.

2**(ii) Financial Bid Evaluation:** Bidders qualified after Technical evaluation shall be notified for financial bid opening date and time. Representative of qualified bidders desirous of attending the financial bid opening may join the same at scheduled date and time at CERC. Financial bids of only those bidders shall be opened whose technical bids are found to be <u>responsive/qualified and accepted </u>by the Competent Authority in CERC.

2(iii) In the Financial Bids, if the service charges as a percentage of the money paid to the person engaged and statutory dues thereon, if any, quoted is less than 5%the quotation will be rejected outrightly.The bidder, whose overall quoted rate in Financial Bid-Annexure-IV, is found lowest, would be selected as the successful bidder.In case there is any tie in the rates, the bidder whose score is highest in Technical bid shallbe selected.

3.0 CERC reserves its right to split the Contract and create a Panel of service providers in the interest of competitiveness and reliability of service, availability of more and experienced manpower. The bidder who stands at

Number L-2 may be asked to match the rates quoted by L1 bidder. However, the number of service providers on panel shall not be more than two.

4.0 **Earnest Money Deposit**: An Earnest Money Deposit of Rupees 3,00,000/- (Rupees three lakhs only) in the form of a demand draft drawn in favour of Central Electricity Regulatory Commission payable at New Delhi, may be submitted, failing which the bid will not be considered valid. Those firms who are registered with NSIC may provide a copy of the Registration Certificate.

5.0 The firm / agency shall be responsible for compliance with the provision of the following major Labour laws:-

i) Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.
ii) Minimum Wages Act.
iii) Workmen's Compensation Act.
iv) The Bonus Act as amended from time to time.
v) Industrial Disputes Act, 1947
vi) Any other rules, regulations and / or statutes as maybe applicable to them from time to time.

6.0 Normal working hours would be 9.30 A.M to 6.00 P.M (05 days week) including half-an-hour lunch break. The personnel may be called on Saturday, Sunday and other gazetted holidays, and asked to sit beyond normal working hours in case of exigency of office. They may be paid extra for additional duties as per the rates approved by this office.

7.0 There will be a provision of 15 days leavein a calendar year (in addition to the gazetted holidays applicable in CERC office), on pro-rata basis, subject to prior sanction.

8.0 The personnel deployed under this contract shall maintain proper office decorum.

9.0 The deployment under this contract will be purely on contract basis through outsourcing agencies. There will be noemployee-employer relationship between the deployed person and CERC. The person so deployed shall have no claim for regular appointment in CERC due to his/her deployment under this contract.

10.0 CERC may require the service provider to dismiss or remove any person or persons, employed by the service provider, who may be incompetent or for his/her/their misconduct and service provider shall forthwith comply with such requirements.

11.0 The service provider has to provide Photo Identity Cards to the persons employed by him/her for carrying out the work. These cards are to be constantly displayed & their loss reported immediately.

12.0 CERC shall not be liable for any loss, damage, theft, burglary or robbery of any personal belongings, equipment or vehicles of the personnel of the service providers.

13.0 The service provider shall conduct necessary verifications of antecedents of the personnel to be deployed by it to CERC.

14.0 **Non-disclosure:** The service provider’s personnel shall not divulge or disclose to any person, any details of office, operational process, technical know-how, security arrangements, and administrative/organizational matters as all are of confidential/secret nature.

15.0 **Security Deposit**

15.1 The successful bidder shall be required to deposit a security deposit of5% (five percent) of the total value of Contract in the form of Demand Draft / Bankers Cheque drawn in favour of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) payable at New Delhi.

15.2 The amount of security deposit is liable to be refunded within one month of the termination of the contract.

15.3 No interest shall accrue on the said security deposit.

15.4 CERC reserves the right to deduct from the above cited security deposit if any loss is caused to the CERC's property by persons deployed by the agency or in case the agency fails to abide by the terms & conditions of the contract.

16.0 **Tenure of Contract:** The tenure of the contract shall ordinarily be one year. However, the competent authority in CERC, may at his discretion, allow extension of the tenure of contract, up to two spells of one year each subject to satisfactory services of the service provider.

16.1 The competent authority reserves the right to terminate the contract at any timewithout giving any notice or without assigning any reason whatsoever before completion of the tenure in case the services of the service provider are found to be unsatisfactory.

16.2 The decisions of Assistant Secretary (P&A) /Assistant Chief (Admin) CERC or any other officer authorized by Secretary shall be final and binding on the service provider for the purpose regarding satisfactory or unsatisfactory standard of work.

17.0. Damages: Any damage caused to the property/records of CERC due to the negligence of the personnel deployed by the service provider is the responsibility of the service provider and the service provider will be liable to compensate CERC.

18.0 Prohibition of sub-contract: The service provider shall not appoint any sub-contractor for this work under any circumstances. During the currency of the Contract, the selected Agency shall not transfer its right to any other party/firm except with the prior permission of CERC. CERC reserves its right to reject any such request without assigning any reason.

19.0 Resolution of Dispute: In case of dispute the decisions of Secretary, CERC shall be final.

20.0 Payment to personnel deployed to CERC: The payment of remuneration/ emoluments by the Service Provider to its employees shall be made by ECS/NEFT only and a certificate in the Firm's letter head be furnished to CERC every month along with pre-receipted bill of the Firm.

21.0 Payment: Payment shall be released by CERC to the service provider on monthly basis through RTGS/ECS. For release of payment, pre-receipted bills along with attendance sheet of the deployed personnel are required to be submitted by the agency at the end of every month.

22.0 Deduction of Income Tax at Source: Since it is a "Works Job Order", Income Tax shall be deducted at source from all the accepted payment to be made, in accordance with the provision of Income Tax Act, 1961 as amended from time to time.

Annexure – III

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Ground Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi 110001

Technical Bid

1. Name of the Firm ____

2. Address ____

____

____

3. Telephone No. __________________ Fax No. ________________

4. Date of Registration of the Firm ______________________________

5. PAN / TAN No. ____

6. GST/Service Tax Registration No. _____________________________

7. List of Clients (Additional sheet may be used if the space provided below is insufficient):

Sl. No.	Name of the Client Organization	Type of Client organization Govt/PSU	Duration of Service		Total	Category/posts of Personnel	No. of Personnel Deployed	Remarks, if any.
			From	To				

8.0 **Undertaking**

8.1 We ________________________________ (Name of the firm)

hereby undertake that we accept the terms & conditions laid down in CERC's NIT No. No. 2/6(5)/2016/Estt/CERC dated 7th July 2017

8.2 Further, we also undertake that we shall comply with all statutory obligations regarding deployment of man power, for example:

(i) Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.
(ii) Minimum Wages Act.
(iii) Workmen's Compensation Act.
(iv) The Bonus Act as amended from time to time.
(v) The Industrial Disputes Act, 1947
(vi) Any other rules, regulations and / or statutes as may be applicable to them from time to time.

9. Earnest Money Deposit of Rs. 3, 00,000/-

i) DD / Banker's Cheque No. ________________________________

ii) Issuing Bank & Branch

OR NSIC Registration No. and validity:

(Documentary proof to be attached)

10. Certified that the Firm/Agency or any of its partners/Directors etc. have not been blacklisted/restrained/penalized by any Government organization.

Dated: (Signature of the authorized signatory of the Firm)

Full Name ________________________

Mob. No. ________________________

Company Seal

List of Enclosures:

i) DD / Banker's cheque for EMD.
ii) Self-attested copy of TAN/PAN No.
iii) Self-attested copy of Registration No. of firm
iv) Self-attested copy of Service Tax Registration No.
v) Experience certificate from client organizations.
(vi) The firm shall submit a copy of the following documents:

(viii) Income Tax Returns for at least last three years; (b) Service Tax Returns for at leastfor last one year (c) Proof of depositing EPF contributions with the concerned agency at least for last one year. (d) Proof of depositing ESI contributions with the concerned agency at least for last one year.
(viii) Solvency Certificate from the Banker
(ix) The bids should be page numbered and property indexed
(x) Check list (to be affixed on the top of the bid).

Annexure – IV

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Ground Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath,
New Delhi – 110 001

Financial Bid

1. Name of the Firm ________________

2. Address ____ ___________________

3. Telephone No. _________________ Fax No.

4.

Administrative charge to be charged by theOutsourcing agency (bidder)	_________% of the total remuneration/emoluments payable to persons deployed on outsourcing basis and statutory dues thereon excluding GST

Note: (i) Administrative charge of the agency is to be quoted in percentage of thewages/remuneration/emoluments and statutory dues thereon excluding GST.

(ii) Applicable Taxes, if any, shall be payable by CERC but no administrative charges would be payable on taxes/ GST.

Dated: (Signature of the authorized signatory of theFirm)

Full Name ______________________

Mob. No. ______________________

(Company Seal) ___________________

CHECK LIST OF ATTACHED DOCUMENTS IN RESPECT OF NIT No. 2/6(5)/2016/Estt/CERC Dated 7th July 2017

Sub: Notice Inviting Tender for engaging "Service Providers" for deployment of manpower on outsourcing basis.

Sl. No.	Details	Whether enclosed or not	Page No.
1.	Proof regarding Registration with the appropriate authority in Delhi		
2.	Proof regarding Registered Office in Delhi/NCR		
3.	Submission of EMD		
4	Proof regarding registration with NSIC with validity date		
5	Annexure III including details regarding relevant experience		
6	Annexure IV (Separate cover)		
7	PAN No. (Self-attested copy to be enclosed)		
8	TAN No. (Self-attested copy to be enclosed)		
9	Service Tax/Service Tax/ GST Registration(Self-attested copy to be enclosed)		
10	Registration with EPF authorities(Self-attested copy to be enclosed)		
11.	Registration with ESI authorities(Self-attested copy to be enclosed)		
12	IT returns for last three years		
13	Service Tax Returns at least for last one year.		
14	Proofs regarding payment of EPF contributions at least for last one year.		
15	Proofs regarding payment of ESI contributions to the concerned Agency at least for last one year.		
16	Last three years audited statement from Chartered Accountant		
17	Solvency Certificate from the Banker		

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110001
टेलि: 23353503 / फैकस : 23752957

फाइल नं0. 2/6(5)/2016/स्थापना/केविविआ **दिनांक: 07 जुलाई, 2017**

विषय: आउटसोर्सिंग आधार पर मानव शक्ति के नियोजन के लिए सेवा प्रदायकों हेतु टेण्डर आमंत्रित करने का नोटिस

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग सेवा प्रदायकों के माध्यम से विभिन्न स्तर पर मानव शक्ति नियुक्त करता है। मुहरबंद टेण्डर इस प्रकार की एजेंसियों से तकनीकी वाणिज्यिक बोलियों के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं जो कुशल मानव शक्ति उपलब्ध करवाने के लिए **अनुबंध – II** के अनुसार विस्तृत निबंधन और शर्तों में दी गई पात्रता मानदण्डों को पूरा करती है।

2. **कार्यक्षेत्र:** सेवा प्रदायकों के माध्यम से नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित मानव शक्ति की निदर्शी सूची **अनुबंध – I** में दी गई है। सूची निदर्शी है संपूर्ण नहीं। व्यक्तियों की संख्या वास्तविक अपेक्षा पर निर्भर करते हुए अलग–अलग हो सकती है।

3. **टेण्डर प्रस्तुत करने का ढंग:** टेण्डर **अनुबंध – III** और **अनुबंध – IV** में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3.1 **तकनीकी बोली:** अधोलिखित दस्तावेजों सहित अनुबंध **– III** में निर्धारित प्रोफार्मा में तकनीकी बोली मुहरबंद कवर में प्रस्तुत की जाये और इस पर ''तकनीकी बोली'' लिखा जाए**:-**

(i) (क) पैन नं0, (ख) टैन नं0 (ग) सेवा कर रजिस्ट्रेशन नं0/जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं तथा (घ) फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित फोटो प्रतियां

(ii) फर्म द्वारा अपेक्षित संगत अनुभव के समर्थन में दस्तावेजों की स्व–सत्यापित फोटो प्रतियां

(iii) जमा बयाना रकम

(iv) **अनुबंध II** में यथा अपेक्षित अन्य दस्तावेज

3.2 **वित्तीय बोली:** अनुबंध – IV में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की

जाए और ''वित्तीय बोली'' के रूप में रेखांकित मुहरबंद कवर में प्रस्तुत की जाए।

3.3 **ब्याना धन जमा (ईएमडी)**

3.4 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली वाले दो अलग–अलग मुहरबंद कवर और ईएमडी से ईएमडी/छूट प्रमाणपत्र वाले तीसरे लिफाफे को दूसरे मुहरबंद कवर में प्रस्तुत किए जाना चाहिए और सहायक प्रमुख (प्रशा.) केविविआ को संबोधित होना चाहिए। कवर **"आउटसोसिंग आधार पर मानव शक्ति के नियोजन के लिए सेवा प्रदायकों हेतु टेण्डर"** के रूप में रेखांकित होना चाहिए।

4. टेण्डर प्राप्ति की अंतिम तारीख **:** सभी प्रकार से पूर्ण टेण्डर सहायक प्रमुख (प्रशा.), केविविआ, भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को 31 जुलाई, 2017 को दोपहर 12.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।

5. टेण्डर उन भागीदार बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहना चाहते हैं, उसी तारीख को अपराह्न 2.30 बजे खोला जाएगा।

(कमल किशोर)
सहायक प्रमुख (प्रशा.)

अनुबंध – I

सेवा प्रदायकों के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाली मानव शक्ति की निदर्शी सूची

गैर–तकनीकी पद:

श्रेणी	अनुमानित संख्या
प्रशासनिक अधिकारी	01
कार्यपालक सचिव	01
हिंदी अधिकारी	01
वरिष्ठ कार्यपालक (केविविआ के विभिन्न प्रभागों में नियुक्त किए जाएंगे)	06
कार्यपालक आशुलिपिक	14
कनिष्ठ कार्यपालक (डाटा एंट्री)	02
कनिष्ठ कार्यपालक (विभिन्न प्रभागों में नियुक्त किए जाने वाले)	21

तकनीकी पद:

श्रेणी	अनुमानित संख्या
वरिष्ठ एसोसिएट (तकनीकी)	02
वरिष्ठ एसोसिएट (इंजी.)	05
एसोसिएट	02
एसोसिएट (सिस्टम/नेटवर्किंग)	01
एसोसिएट (सॉफ्टवेयर)	01
जिम प्रशिक्षक	01

नोट 1. वास्तविक पारिश्रमिक/परिलब्धियां जो लागू न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी, केविविआ द्वारा निर्णीत की जाएगी और कार्य सौंपने के बाद सूचित की जाएगी।

नोट 2. केविविआ की देयता ईएसआई, ईपीएफ और कोई अन्य सांविधिक अंशदान, यदि कोई है, के लिए प्रचलित नियमावली के अनुसार कर्मचारी के अंशदान तक सीमित होगी, एक बार यह देय तारीख को एजेंसी द्वारा अदा कर दिए गए हैं। कोई दण्डात्मक प्रभार केविविआ द्वारा प्रतिदेय नहीं होगा।

नोट 3.उक्त सूची निदर्शी है संपूर्ण नहीं।

नोट 4.कार्मिक की संख्या प्रचलित अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अलग हो सकती है।

नोट 5.मानव शक्ति का चयन तथा उनको प्रतिदेय पारिश्रमिक/परिलब्धियां कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार केविविआ द्वारा निर्णीत होगी।

2.0 बोलीकर्ताओं की अर्हकता:

(i) इस टेण्डर में भागीदारी की इच्छुक एजेंसी उपयुक्त रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसका रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में होना चाहिए।

(ii) फर्म के वैध (क) पैन नं0, (ख) टैन नं0 (ग) सेवा कर रजिस्ट्रेशन नं0/जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं तथा (घ) फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

(iii) फर्म ईएसआई और ईपीएफ अंशदान को जमा करने के लिए ईएसआई और ईपीएफ प्राधिकरणों में रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

(iv) फर्म को अनुबंध-I में दर्शायी गई मानव शक्ति के फील्ड में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रम/प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्था में मानव शक्ति उपलब्ध करवाने का कम से कम <u>5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</u>

(v) फर्म का वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 50.00 लाख रुपये का न्यूनतम टर्नओवर होगा। फर्म को ईएसआई और ईपीएफ के अंशदान के जमा सहित मानव शक्ति के नियोजन से संबंधित तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, श्रम कानून इत्यादि से संबंधित सभी सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करना होगा।

(vi) फर्म निम्नलिखित दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करेगाः–

(क) कम से कम तीन वर्षों के लिए आयकर विवरणी;

(ख) कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए सेवा कर विवरणी;

(ग) कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए संबंधित एजेंसी से ईपीएफ अंशदानों को जमा करने का प्रमाण;

(घ) कम से कम एक वर्ष में संबंधित एजेंसी के पास ईएसआई अशंदान जमा कराने का प्रावधान;

(ङ) कम से कम एक वर्ष का संबंधित एजेंसी से सेवा कर अशंदान जमा करवाने का प्रमाण;

(च) फर्म अनुबंध III में यथानिर्दिष्ट एनआईटी में दी गई केविविआ की सभी निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने से सहमत होनी चाहिए और

(छ) सनदी लेखाकार से अंतिम तीन वर्षों का लेखा परीक्षा विवरण (कम से कम वर्षों के लिए लाभ/हानि तथा टर्नओवर) तथा बैंकर से सोलवेंसी प्रमाणपत्र।

(vii) फर्म/एजेंसी किसी सरकारी संस्था की काली सूची/बहिष्कृत नहीं होनी चाहिए।

2. (i) तकनीकी बोली मूल्यांकन: बोली खोलने के बाद उन बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी बोलियों जिन्होंने ईएमडी प्रस्तुत की है/एनएसआईसी के पास रजिस्टर्ड हैं उन्हें केविविआ द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। वे बोलियां जिन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियाशील निर्धारित किया गया है उन्हें तकनीकी अनुपालन के लिए समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर समिति द्वारा किया जाएगा:-

- संगत क्षेत्र में अनुभव (40 प्वाइंट)
- उन सरकारी ग्राहकों की संख्या जिन्हें बोलीकर्ता अनुबंध I में दर्शाये अनुसार मानव शक्ति उपलब्ध करवा रहा है। (आंतरिक व्यवस्था/पेंट्री/सुरक्षा स्टाफ/एमटीएस/पूर्व ग्रुप डी स्टाफ से भिन्न) (15 प्वाइंट)
- उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ग्राहकों की संख्या जिन्हें बोलीकर्ता अनुबंध I में दर्शाये अनुसार मानव शक्ति उपलब्ध करवा रहा है। (आंतरिक व्यवस्था/पेंट्री/सुरक्षा स्टाफ/एमटीएस/पूर्व ग्रुप डी स्टाफ से भिन्न) (15 प्वाइंट)
- विभिन्न संस्थाओं में अनुबंध I के अनुसार अंतिम पांच वर्षों में, वर्षवार, श्रेणीवार, दस्तावेजी प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत रूप से समर्थित नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या (15 प्वाइंट)
- वित्तीय स्थिति (पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान फर्म का लाभ या हानि) (प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक यदि लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार लाभ हुआ है) (15 प्वाइंट)
- मूल्यांकन समिति द्वारा विचार योग्य समझा जाने वाला कोई अन्य पैरामीटर

वे बोलीकर्ता जो 60% का न्यूनतम अर्जित करते हैं उन्हें तकनीकी रूप से अर्हक/प्रत्युत्तरकारी माना जाएगा।

2**(ii) वित्तीय बोली मूल्यांकन:** तकनीकी मूल्यांकन के बाद अर्हक बोलीकर्ता वित्तीय बोली खोलने की तारीख और समय के लिए अधिसूचित किए जाएंगे। वित्तीय बोली खोलने के समय उपस्थिति के इच्छुक अर्हक बोलीकर्ता के प्रतिनिधि केविविआ में नियत तारीख और समय पर शामिल हो सकते हैं। केवल उन बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां प्रत्युत्तर/अर्हक पाई जाती हैं और केविविआ में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

2(iii) वित्तीय बोलियों में, यदि नियुक्त व्यक्ति को अदा धन तथा उस पर उदधृत सांविधिक देयताओं, यदि कोई हैं कि प्रतिशतता के रूप में सेवा प्रभार 5% से कम है तो कोटेशन एकदम रद्द की जाएगी। वे बोलीकर्ता, जिनकी वित्तीय बोली अनुबंध-IV में कुल उद्धृत दर निम्नतम पाई जाती है, उसका सफल बोलीकर्त्ता के रूप में चयन किया जाएगा। यदि दरों में किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो वे बोलीकर्त्ता, जिनके अंक तकनीकी बोली में उच्चतम है उनका चयन किया जाएगा।

3.0 केविविआ के पास कांट्रेक्ट खंडित करने तथा सेवा की विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धा के हित में सेवा प्रदायकों के पैनल सृजित करने, अधिक अनुभवी मानव शक्ति की उपलब्धता का अधिकार होगा। वे बोलीकर्ता जो नंबर एल–2 में रहते हैं उन्हें एल–1 बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों से मिलान करने के लिए कहा जा सकता है। तथापि पैनल पर सेवा प्रदायकों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

4.0 **बयाना जमा धन:** सहायक सचिव, केविविआ, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट के रूप में रुपये 3,00,000/- (मात्र तीन लाख रुपये) का बयाना जमा धन दिया जाए जिसके न देने की स्थिति में बोली को वैध नहीं समझा जाएगा। वे फर्में जो एनएसआईसी के साथ रजिस्टर्ड हैं वे रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध करवाएं।

5.0 फर्म/एजेंसी निम्नलिखित मुख्य श्रम कानूनों के प्रावधान के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे:-

i) कांट्रेक्ट श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
ii) न्यूनतम वेतन अधिनियम
iii) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम
iv) समय–समय से यथासंशोधित बोनस अधिनियम
v) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
vi) कोई अन्य नियम, विनियम और/या विधियां जो समय–समय से लागू हो सकती हैं।

6.0 सामान्य कार्य घण्टे 9.30 पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न (05 दिवसीय सप्ताह) तथा आधे घण्टे के भोजना अवकाश सहित होगा। कार्मिकों को शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश पर भी बुलाया जा सकता है और कार्यालय में कार्य की अधिकता की स्थिति में सामान्य कार्य घण्टों के बाद भी रोका जा सकता है। उन्हें इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार अतिरिक्त ड्यूटी के लिए अतिरिक्त राशि अदा की जाएगी।

7.0 पूर्व मंजूरी के अध्याधीन समानुपातिक आधार पर कैलेण्डर वर्ष में 15 दिन के अवकाश (केविविआ कार्यालय में लागू राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त) का प्रावधान होगा।

8.0 इस कांट्रेक्ट के अधीन नियोजित कार्मिक कार्यालय शिष्टाचार का अनुपालन करेंगे।

9.0 इस कांट्रेक्ट के अधीन नियोजन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पूरी तरह से कांट्रेक्ट आधार पर होगा। केविविआ और नियोजित व्यक्ति क बीच कोई कर्मचारी–नियोजक संबंध नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति का इस कांट्रेक्ट के अधीन अपने नियोजन के कारण केविविआ में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

10.0 केविविआ सेवा प्रदायक द्वारा नियोजित किसी उस व्यक्ति या व्यक्तियों को पदच्युत करने या हटाने के लिए सेवा प्रदायक से अपेक्षा रखता है जो अपने कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया जाता है और सेवा प्रदायक इस प्रकार की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

11.0 सेवा प्रदायक को कार्य के लिए उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों का फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा। इन कार्डों को नियमित रूप से प्रदर्शित करना होगा और उनके गुम हो जाने पर तत्काल रिपोर्ट करना होगा।

12.0 केविविआ सेवा प्रदायकों के कार्मिकों के वाहन या उपकरण, किसी व्यक्तिगत सामान की चोरी, सेंधमारी, क्षति, हानि का उत्तरदायी नहीं होगा।

13.0 सेवा प्रदायक केविविआ को उसके द्वारा नियोजित किए गए कार्मिक के पूर्ववृत्त का आवश्यक सत्यापन करेगा।

14.0 **गैर–प्रकटन:** सेवा प्रदायक के कार्मिक किसी व्यक्ति को कार्यालय के ब्यौरे, प्रचालनगत प्रक्रिया, तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्थाएं और प्रशासनिक/संस्थागत मामले और गोपनीय/गुप्त किस्म के मामलों की जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं देगा।

15.0 **जमा प्रतिभूति**

15.1 सफल बोलीकर्ता को नई दिल्ली में प्रतिदेय केविविआ के कक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में कांट्रेक्ट के कुल मूल्य के 5% की प्रतिभूति जमा कराना अपेक्षित होगा।

15.2 प्रतिभूति जमा की रकम कांट्रेक्ट की समाप्ति के एक माह के अंदर वापिस किया जाना दायी होगा।

15.3 उक्त प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा।

15.4 केविविआ को उपरीलिखित प्रतिभूति जमा से कटौती का अधिकार है यदि एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा केविविआ की संपत्ति को कोई नुकसान होता है या यदि एजेंसी कांट्रेक्ट की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने में असफल होती है।

16.0 **<u>कांट्रेक्ट की अवधि:</u>** कांट्रेक्ट की अवधि सामान्यतः एक वर्ष होगी। तथापि केविविआ में सक्षम प्राधिकारी अपने स्व–विवेक से सेवा प्रदायक की संतोषजनक सेवाओं के अध्याधीन प्रत्येक एक वर्ष दो पारियों तक कांट्रेक्ट की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकता हैं।

16.1 सक्षम प्राधिकारी को अवधि के पूरा होने से पूर्व किसी कारण को निर्दिष्ट किए बिना या कोई नोटिस दिए बिना किसी भी समय कांट्रेक्ट को समाप्त करने का अधिकार है यदि सेवा प्रदायक की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं।

16.2 सहायक सचिव (का. एवं प्रशा.)/सहायक प्रमुख (प्रशा.) केविविआ या सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निर्णय अंतिम होंगे और कार्य के संतोषजनक या असंतोषजनक से संबंधित प्रयोजन के लिए सेवा प्रदायक पर बाध्यकारी होंगे।

17.0. <u>क्षति:</u> सेवा प्रदायक द्वारा नियोजित कार्मिक की असावधानी के कारण केविविआ की संपत्ति/रिकार्डों में किसी प्रकार की क्षति सेवा प्रदायक का उत्तरदायित्व है और सेवा प्रदायक का दायित्व केविविआ को इसकी क्षतिपूर्ति करना होगा।

18.0 **<u>उप–कांट्रेक्ट का निषेध:</u>** सेवा प्रदायक किसी भी स्थिति में इस कार्य के लिए कोई उप कांट्रेक्टर नियुक्त नहीं करेगा। कांट्रेक्ट के दौरान चुनी गई एजेंसी अपना अधिकार केविविआ पूर्व अनुमति को छोड़कर किसी अन्य पार्टी/फर्म को अपना अधिकार अंतरित नहीं करेगा। केविविआ को किसी कारण को निर्दिष्ट किए बिना इस प्रकार के किसी अनुरोध को रद्द करने का अधिकर है।

19.0 विवाद का समाधान: विवाद की स्थिति में सचिव, केविविआ का निर्णय अंतिम होगा।

20.0 **<u>केविविआ को नियोजित कार्मिक को भुगतान:</u>** अपने कर्मचारियों को सेवा प्रदायक द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान केवल ईसीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा और फर्म के शीर्ष पत्र में प्रमाणपत्र फर्म के पूर्व प्राप्ति बिल सहित प्रत्येक माह केविविआ को प्रस्तुत किया जाएगा।

21.0 <u>भुगतान:</u> आरटीजीएस/ईसीएस के माध्यम से मासिक आधार पर सेवा प्रदायक को केविविआ द्वारा भुगतान किया जाएगा। भुगतान को रिलीज करने के लिए नियोजित कार्मिक की उपस्थिति शीट सहित पूर्व प्राप्ति बिल प्रत्येक माह के अंत में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

22.0 <u>स्रोत पर आयकर की कटौती</u>**:** चूंकि यह ''वर्क जॉब ऑर्डर'' है अतः यह समय–समय से यथासंशोधित आयकर अधिनियम 1961 के उपबंध के अनुसार किए जाने वाले सभी स्वीकृत भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।

<u>अनुबंध – III</u>

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110001

तकनीकी बोली

1. फर्म का नाम ______________________________

2. पता ______________________________

____

____

3. टेलिफोन नं0 ______________ फैक्स नं0 ______________

4. फर्म की रजिस्ट्रेशन की तारीख ______________________

5. पैन/टैन नं0 ______________________________

6. जीएसटी/सेवा कर रजिस्ट्रेशन नं0 ______________________

7. ग्राहकों की सूची (अतिरिक्त शीट प्रयोग की जाए यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है।):

क्रम. सं0	ग्राहक संस्था का नाम	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विभिन्न प्रकार के ग्राहक	सेवा की अवधि		कुल	कार्मिकों की श्रेणी/पद	नियोजित कार्मिक की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हैं
			से	तक				

8. <u>अन्डरटेकिंग</u>

8.1 हम ______________________________ (संस्था का नाम)

एतद्‌दद्वारा वचन देते हैं कि हम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टेण्डर आमंत्रित करने का नोटिस नं0 2/6(5)/2016/स्थापना/केविविआ दिनांक 07 जुलाई 2017 में निर्धारित निबंधन व शर्तों को स्वीकार करते हैं।

8.2 इसके अलावा, हम यह भी वचन देते हैं कि हम मानव शक्ति के नियोजन के संबंध में सभी सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करेंगे, उदाहरण के लिए:

(i) कांट्रेक्ट श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
(ii) न्यूनतम वेतन अधिनियम
(iii) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम
(iv) समय–समय से यथासंशोधित बोनस अधिनियम
(v) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(vi) कोई अन्य नियम, विनियम और/या विधियां जो समय–समय से लागू हो सकती हैं।

9. रुपये 3,00,000/– का जमा बयाना धन

i) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक सं. ______________________

ii) जारीकर्ता बैंक एवं शाखा

या एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन नं0 एवं वैधता:

(दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाए)

10. <u>प्रमाणित किया जाता है कि फर्म/एजेंसी या इसका कोई साझेदार/निदेशक इत्यादि को किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज/दण्डित/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।</u>

दिनांक:

(फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ______________________

मोबाइल नं. ______________________

कम्पनी की मुहर

संलग्नकों की सूची:

i) ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक
ii) टैन/पैन नं. की स्व–सत्यापित प्रति
iii) फर्म के रजिस्ट्रेशन नं0 की स्व–सत्यापित प्रति
iv) सेवा कर रजिस्ट्रेशन नं. की स्व–सत्यापित प्रति
v) ग्राहक संस्था से अनुभव प्रमाणपत्र
vi) फर्म निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करेगी:
vii) कम से कम अंतिम तीन वर्षो के लिए आयकर विवरणी; (ख) कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए सेवा कर विवरण (ग) कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए संबंधित एजेंसी से ईपीएफ अंशदान जमा कराने का प्रमाण (घ) कम से कम अंतिम एक वर्ष में संबंधित एजेंसी से ईएसआई अंशदान जमा करवाने का प्रमाण
viii) बैंकर से सोलवेंसी प्रमाणपत्र
ix) बोलियों में पृष्ठ संख्या और उचित रूप से अनुक्रमणिका भी होनी चाहिए।
x) **जांच सूची (बोली के शीर्ष पर लगाई जाए।)**

अनुबंध – IV

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110001

वित्तीय बोली

1. संस्था का नाम ____________________

2. पता ____________________________

3. टेलिफोन नं0 __________________ फैक्स नं0

4.

आउटसोर्सिंग एजेंसी (बोलीकर्ता) द्वारा प्रभारित किए जाने वाला प्रशासनिक प्रभार	आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित व्यक्तियों को प्रतिदेय कुल पारिश्रमिक/परिलब्धियों तथा जीएसटी को छोड़कर उस पर सांविधिक देयताओं का ...... %

टिप्पणी: (i) एजेंसी का प्रशासनिक प्रभार वेतन/पारिश्रमिक/परिलब्धियों तथा जीएसटी को छोड़कर उस पर सांविधिक देयताओं में उद्धृत किया जाना है।

(ii) लागू कर, यदि कोई हैं, केविविआ द्वारा प्रतिदेय होंगे लेकिन कोई प्रशासनिक प्रभार करों/जीएसटी पर प्रतिदेय नहीं होगा।

दिनांक:

(फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ____________________

मोबाइल नं0 ____________________

(कंपनी की मुहर) ____________________

एनआईटी संख्या 2/6(5)/2016/स्थापना/केविविआ दिनांक 07 जुलाई 2017 के संबंध में संलग्न दस्तावेजों की जांच सूची

विषय: आउटसोर्सिंग आधार पर मानव शक्ति के नियोजन के लिए ''सेवा प्रदायकों'' हेतु टेण्डर आमंत्रित करने का नोटिस

क्र.सं.	ब्यौरे	संलग्न हैं या नहीं	पृष्ठ संख्या
1	दिल्ली में उपयुक्त प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण		
2	दिल्ली/एनसीआर में रजिस्टर्ड कार्यालय से संबंधित प्रमाण		
3	ईएमडी की प्रस्तुति		
4	वैध तारीख सहित एनएसआईसी के साथ रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रमाण		
5	संगत अनुभव से संबंधित ब्यौरो सहित अनुबंध III		
6	अनुबंध IV (पृथक कवर)		
7	पैन नं0 (स्व–सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)		
8	टैन नं0 (स्व–सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)		
9	सेवा कर/जीएसटी रजिस्ट्रेशन (स्व–सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)		
10	ईपीएफ प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन (स्व–सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)		
11	ईएसआई प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन (स्व–सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)		
12	अंतिम तीन वर्षों के लिए आयकर विवरणी		
13	कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए आयकर विवरणी		
14	कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए ईपीएफ अंशदान के भुगतान से संबंधित प्रमाण		
15	कम से कम अंतिम एक वर्ष के लिए संबंधित एजेंसी को ईएसआई अंशदान के भुगतान से संबंधित प्रमाण		
16	सनदी लेखाकार से अंतिम तीन वर्षों की लेखा परीक्षित विवरण		
17	बैंकर से सोलवेंसी प्रमाण पत्र		